



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

26 सितंबर 2025

अक्तूबर 2025 – मार्च 2026 के लिए
विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु कैलेंडर

संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके निवेश की कार्यकुशल योजना बनाने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही (1 अक्तूबर 2025 से 31 मार्च 2026) के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) सहित सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु सांकेतिक कैलेंडर को एतद्वारा जारी करता है। निर्गम कैलेंडर निम्नानुसार है:

भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम का कैलेंडर (1 अक्तूबर 2025 से 31 मार्च 2026)			
क्र. सं.	नीलामी का सप्ताह	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिभूति-वार आबंटन
1	29 सितंबर - 3 अक्तूबर 2025	32,000	(i) 10 वर्षीय ₹32,000 करोड़ के लिए
2	06-10 अक्तूबर 2025	28,000	(i) 15 वर्षीय ₹16,000 करोड़ के लिए
			(ii) 40 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
3	13-17 अक्तूबर 2025	30,000	(i) 5 वर्षीय ₹18,000 करोड़ के लिए
			(ii) 50 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
4	27-31 अक्तूबर 2025	32,000	(i) 3 वर्षीय ₹9,000 करोड़ के लिए
			(ii) 7 वर्षीय ₹11,000 करोड़ के लिए
			(iii) 30 वर्षीय ₹7,000 करोड़ के लिए
			(iv) 30 वर्षीय एसजीआरबी ₹5,000 करोड़ के लिए
5	03-07 नवंबर 2025	32,000	(i) 10 वर्षीय ₹32,000 करोड़ के लिए
6	10-14 नवंबर 2025	28,000	(i) 15 वर्षीय ₹16,000 करोड़ के लिए
			(ii) 40 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
7	17-21 नवंबर 2025	30,000	(i) 5 वर्षीय ₹18,000 करोड़ के लिए
			(ii) 50 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
8	24-28 नवंबर 2025	32,000	(i) 3 वर्षीय ₹9,000 करोड़ के लिए
			(ii) 7 वर्षीय ₹11,000 करोड़ के लिए

भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम का कैलेंडर (1 अक्तूबर 2025 से 31 मार्च 2026)			
क्र. सं.	नीलामी का सप्ताह	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिभूति-वार आबंधन
			(iii) 30 वर्षीय ₹7,000 करोड़ के लिए (iv) 30 वर्षीय एसजीआरबी ₹5,000 करोड़ के लिए
9	01-05 दिसंबर 2025	32,000	(i) 10 वर्षीय ₹32,000 करोड़ के लिए
10	08-12 दिसंबर 2025	28,000	(i) 15 वर्षीय ₹16,000 करोड़ के लिए (ii) 40 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
11	15-19 दिसंबर 2025	30,000	(i) 5 वर्षीय ₹18,000 करोड़ के लिए (ii) 50 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
12	22-26 दिसंबर 2025	32,000	(i) 3 वर्षीय ₹9,000 करोड़ के लिए (ii) 7 वर्षीय ₹11,000 करोड़ के लिए (iii) 30 वर्षीय ₹12,000 करोड़ के लिए
13	29 दिसंबर 2025- 02 जनवरी 2026	32,000	(i) 10 वर्षीय ₹32,000 करोड़ के लिए
14	05-09 जनवरी 2026	29,000	(i) 15 वर्षीय ₹16,000 करोड़ के लिए (ii) 40 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
15	12-16 जनवरी 2026	31,000	(i) 5 वर्षीय ₹18,000 करोड़ के लिए (ii) 50 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
16	19-23 जनवरी 2026	33,000	(i) 3 वर्षीय ₹9,000 करोड़ के लिए (ii) 7 वर्षीय ₹11,000 करोड़ के लिए (iii) 30 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
17	26-30 जनवरी 2026	32,000	(i) 10 वर्षीय ₹32,000 करोड़ के लिए
18	02-06 फरवरी 2026	29,000	(i) 15 वर्षीय ₹16,000 करोड़ के लिए (ii) 40 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
19	09-13 फरवरी 2026	31,000	(i) 5 वर्षीय ₹18,000 करोड़ के लिए (ii) 50 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
20	16-20 फरवरी 2026	33,000	(i) 3 वर्षीय ₹9,000 करोड़ के लिए (ii) 7 वर्षीय ₹11,000 करोड़ के लिए (iii) 30 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
21	23-27 फरवरी 2026	32,000	(i) 10 वर्षीय ₹32,000 करोड़ के लिए
22	02-06 मार्च 2026	29,000	(i) 15 वर्षीय ₹16,000 करोड़ के लिए (ii) 40 वर्षीय ₹13,000 करोड़ के लिए
	कुल	6,77,000	

2. जैसाकि अब तक होता रहा है, इस कैलेंडर में समाहित सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा रहेगी जिसके अंतर्गत अधिसूचित राशि का पाँच प्रतिशत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा।

3. विगत की भांति, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह छूट होगी कि वह भारत सरकार के परामर्श से भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाज़ार स्थितियों तथा अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए बाज़ार को विधिवत सूचना देकर उक्त कैलेंडर में उल्लिखित राशि, निर्गम अवधि, परिपक्वता, आदि में आशोधन कर सके और गैर-मानक परिपक्वता वाली लिखतों, अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफआरबी) और सीपीआई से जुड़े मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड (आईआईबी) सहित विभिन्न प्रकार की लिखतें जारी कर सके। बीच में अवकाश का दिन आने जैसे कारणों सहित परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इस कैलेंडर में बदलाव किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों को प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, नीलामी अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति के लिए ₹2000 करोड़ तक का अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने के लिए ग्रीन-शू विकल्प का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, नीलामी के माध्यम से भी दिनांकित प्रतिभूतियों का स्विच/ वापसी खरीद कर सकता है।

6. दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी [26 मार्च 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4\(2\)-बी\(डब्ल्यूएंडएम\)/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।](#)